प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER
माल एवं सेवा कर व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिल्ली क्षेत्र, सी. आर. बिल्डिंग,
GST & CX, DELHI ZONE, C.R. BUILDING,
आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली - 110002
I.P. ESTATE, NEW DELHI – 110002
Tel: 011-23370852, Fax: 011-23370360;

C. No. GCCO/LGL/HC/29/2021-LEGAL-O/O-Pr CC-CGST-ZONE-DELHI **Dated:**

विज्ञापन

विषय: माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य मंचों पर अप्रत्यक्ष कराधान मामलों के सीबीआईसी मामलों को संभालने के लिए कनिष्ठ/वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता के नियमित पैनल का गठन के संबंध में।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य मंचों पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड और इसके क्षेत्रीय संरचनाओं और इसके संलग्न कार्यालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कनिष्ठ/वरिष्ठ अधिवक्ता के लिए पैनल के गठन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि पैनल के गठन की प्रक्रिया एफ. नंबर 278A/07/2019-लीगल दिनांक 18.02.2019 के तहत जारी सीबीआईसी नई दिल्ली दिशानिर्देशों के अनुसार होगी। सीनियर/जूनियर की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड, शुल्क की अनुसूची और आवेदन पत्र दिशानिर्देशों में उपलब्ध हैं। पत्र संख्या 2781A/43/2007-कानूनी दिनांक 05.12.2007 और पत्र एफ संख्या 278A/50/2011-कानूनी दिनांक 14.09.2012 के तहत स्थायी वकील, जिसे विभागीय वेबसाइट यानी https://gstdelhizone.gov.in और https://www.cbic.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

3. योग्य उम्मीदवार जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय और अन्य मंचों पर अप्रत्यक्ष कर मामलों को संभाला है, वे अपना आवेदन फॉर्म ए में (जैसा कि पत्र एफ संख्या 2781 ए/43/2007-कानूनी दिनांक 05.12.2007 में निर्धारित है) सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान मुख्य आयुक्त, दिल्ली जोन, नई दिल्ली, सी.आर. बिल्डिंग, नई दिल्ली - 110002 को 25.07.2024 तक भेज सकते हैं। अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।आवेदक उस पीठ का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करे जिसके संबंध में वे स्थायी वकील के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन करना चाहते हैं ।

आवेदकों, जो पात्रता मानदंड पूरा करते हैं, को साक्षात्कार की तारीख और समय बाद में सूचित किया जाएगा।

(शंकर प्रसाद सर्मा)
अपर आयुक्त

Signed by
Shankar Prasad Sarma
Date: 16-07-2024 16:22:02